शैक्षिक और शोध आचार नीति सह-संघ

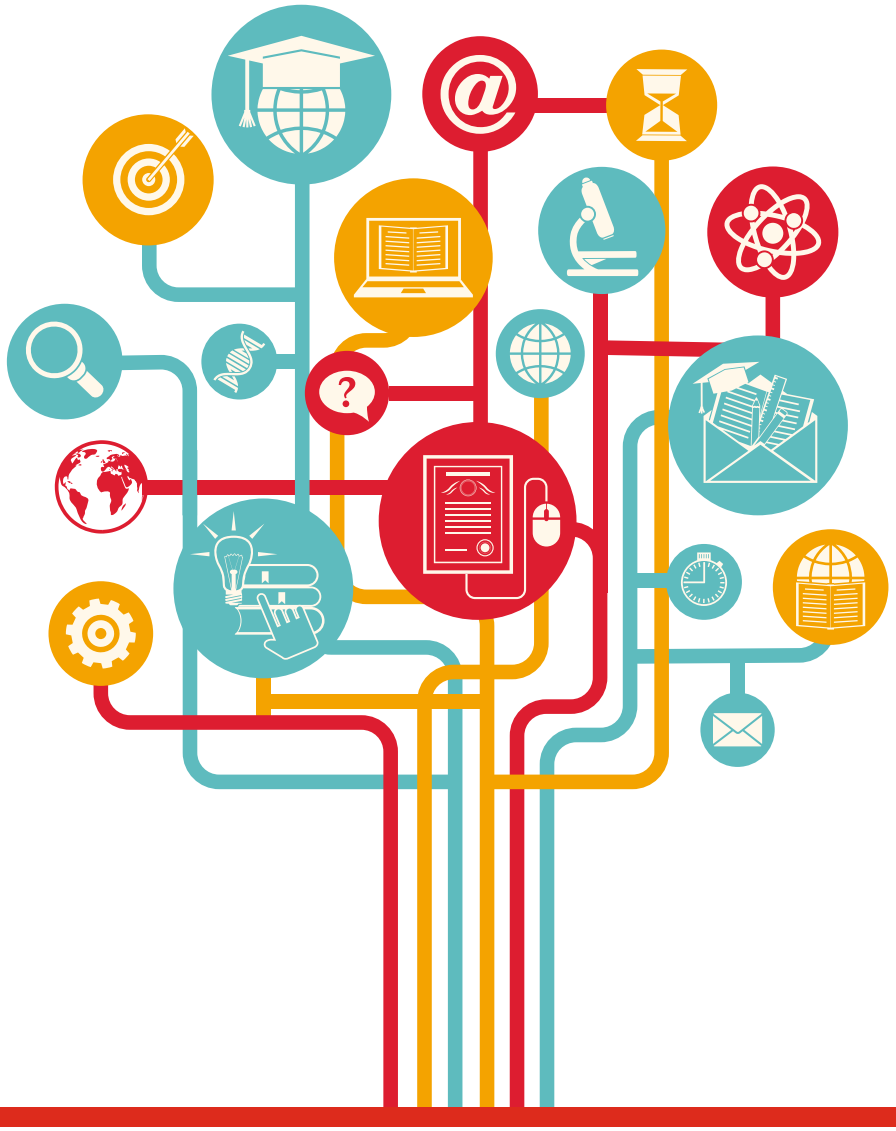

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली–110002

CARE
Academic Research
and Ethics

सत्यमेव जयते
Goverment Of India

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

'kSf{kd vkSj 'kks/k vkpkj uhfr lg&la?k
¼;wthlh&ds;j½

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
Website: www.ugc.ac.in

Goverment Of India

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नवम्बर, 2019

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित।

चंदू प्रेस, डी– 97, शकरपुर, दिल्ली– 110092, फोनः +919810519841, 011–22526936

ई–मेलः **chandupress@gmail.com** द्वारा डिजाईन और मुद्रित किया गया।

lans'k

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गुणवत्ता अधिदेश संकाय द्वारा गुणवत्ता शोध को बढ़ावा देने और नए ज्ञान के सृजन पर बल देता है। शोध प्रकाशनों की विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उच्च.गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन उच्चतर वैश्विक रैंक हासिल करने और शिक्षा की गुणवत्ता के समग्र सुधार में सहायता करते हैं।

संदिग्ध उप–मानक पत्रिकाओं में प्रकाशन प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे दीर्घकालिक शैक्षिक क्षति होती है और छवि धुंधली हो जाती है। दुनिया भर में संदिग्ध/उप–मानक पत्रिकाओं की समस्या एक गंभीर चिंता बन गई है। निम्न गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का प्रतिशत भारत में बहुत अधिक बताया गया है। जिससे इसकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उच्चतर षिक्षा संस्थानों में मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी शीर्ष नियामक निकाय के रूप में एयूजीसी ने शोध की गुणवत्ता में सुधार करने और प्रकाशन आचारनीति की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस प्रयोजन के लिए यूजीसी ने 'गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की संदर्भ सूची' तैयार करने और रखरखाव के लिए 'शैक्षिक और शोध आचारनीति सह–संघर्ष (केयर) की स्थापना की है। केयर के सदस्यों में सांविधिक परिशदध् अकादमियांध् सरकारी निकाय और अन्य जैसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ शामिल हैं।

पुणे में यूजीसी पत्रिका विश्लेषण प्रकोष्ठ, हैदराबाद, नई दिल्ली, बडोदरा, तेजपुर में केयर विश्वविद्यालयों ने अधिकार प्राप्त समित के पर्यवेक्षण में केयर सूची का पहला संस्करण तैयार किया है। मैं केयर की पूरी टीम को बधाई देता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि केयर सूची गुणवत्ता सुधार के प्रयासों में शैक्षिक समुदाय को लाभान्वित करेगी।

(प्रो० धीरेन्द्र पाल सिंह)
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली
नवम्बर, 2019

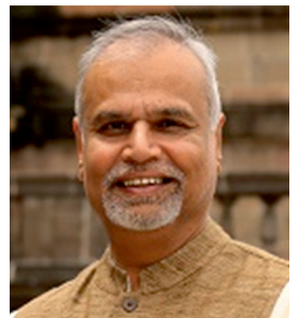

çkDdFku

गुणवत्ता से समझौता किए गए प्रकाशन आचारनीति की बढ़ती घटनाएं और बिगड़ती शैक्षिक अखंडता ऐसी बढ़ती समस्या है जो शोध के सभी क्षेत्रों को दूषित कर रही है। यह देखा गया है कि प्रकाशन में अनैतिकध् भ्रामक व्यवहार के कारण विश्व भर में संदिग्धध् अपहरक पत्रिकाओं में वृद्धि हो रही है। यह बताया गया है कि भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अपहरक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का प्रतिशत बहुत अधिक है। अनैतिक व्यवहार के कारण 'भुगतान करो और सारहीन कृति को प्रकाशित करा ओश् की संस्कृति को तत्काल विफल करने की आवश्यकता है।

विश्व की भलाई के लिए सामाजिक–आर्थिक लाभार्थ सत्य की खोज एवं ज्ञान के सृजन में योगदान हेतु शोध एवं नवाचार में परिशुद्ध सावधानीपूर्ण एवं तर्कसंगत प्रयास किया जाना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि छात्र, संकाय, शोधकर्ता और कर्मचारियों के बीच शैक्षिक लेखन में साहित्यिक चोरी सहित शैक्षिक कदाचार की रोकथाम सुनिश्चित की जाए। वैज्ञानिक शोध में शोध के जिम्मेदार आचरण और आचारनीति तथा शैक्षिक अखंडता को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शैक्षिक अखंडता को किसी भी कार्यकलाप को प्रस्तावित करने, निष्पादित करने और रिपोर्ट करने में बौद्धिक ईमानदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके कारण नए ज्ञान, बौद्धिक संपदा का निर्माण होता है'। गुणवत्ता से समझौता की गई शैक्षिक अखंडता को सभी स्तरों पर चुनौती दी जानी चाहिएए जांच की जानी चाहिए और मान्यता समाप्त की जानी चाहिए।

शिक्षण संकाय, वैज्ञानिकों और शोध छात्रवृत्ति धारकों सहित भारतीय शैक्षिक समुदाय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे जिन पत्रिकाओंध् सम्मेलनों का प्रकाशन के लिए चयन करते हैं। वे मानक आचारनीतियों का पालन करती हों। इस प्रयोजन के लिएए यूजीसी ने शैक्षिक और शोध आचारनीति सह–संघ (केयर) की स्थापना की है ताकि सम्पूर्ण विषयों की गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की संदर्भ सूची/ की पहचानए सतत रूप से निगरानी और रखरखाव किया जा सके। हमारा सुझाव है कि केवल गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की 'केयर संदर्भ सूची' (केयर सूची) में प्रकाषित शोध लेखों को सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए माना जाना चाहिए।

भारतीय शैक्षिक समुदाय को अपहरक/संदिग्ध पत्रिकाओं में प्रकाशन अथवा अपहरक सम्मेलनों में भाग लेने से बचना चाहिए। उन्हें कपट पूर्ण, संदिग्ध, भ्रामक व्यवहार में लगी पत्रिकाओं/प्रकाशकों/सम्मेलनों से सम्बद्ध (संपादक/परामर्शदाता के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार से) नहीं होना चाहिए।

कुलपतियों, चयन समितियों, शोध पर्यवेक्षकों/गाइड और शैक्षिक मूल्यांकन/आकलन में लगे ऐसे अन्य विशेषज्ञों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके निर्णय मुख्यतः शोध कार्य की गुणवत्ता पर आधारित हों, न कि मात्र प्रकाशनों की संख्या पर। अपहरक पत्रिकाओं में प्रकाशन अथवा अपहरक सम्मेलनों में प्रस्तुतीकरण को चयन, पुष्टि, पदोन्नति, निष्पादन मूल्यांकन, छात्रवृत्ति अथवा

शैक्षिक डिग्री अथवा किसी भी रूप में शैक्षिक क्रेडिट प्रदान करने हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए। हमें आशा है कि इस प्रयोजन के लिए केयर सूची उपयोगी होगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक अखंडता की अभिवृद्धि और साहित्यिक चोरी निवारणद्ध विनियम, 2018 और यूजीसी केयर वेबसाइट को देखें। प्रकाशन आचारनीति समिति (COPE) के दिशा–निर्देश, शोध आकलन पर सेन फ्रेंसिसको घोषणा (DORA) और लीडेन घोषणा–पत्र का भी इस प्रयोजन के लिए उल्लेख किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की संदर्भ सूची, केयर वेबसाइट भी प्रासंगिक प्रकाषनों, श्रव्य दृश्य सामग्री, वीडियो, वेबलिंक इत्यादि के रूप में उपयोगी संसाधन का प्रावधान उपलब्ध करती है। केयर वेबसाइट एफएक्यूए फीडबैक और शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान करती है। हम आशा करते हैं कि केयर वेबसाइट, गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की संदर्भ सूची और अधिक जागरूकता फैलाने में उपयोगी होगी और शैक्षिक अखंडता और आचारनीति प्रकाशन को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

ubZ fnYyh
uoEcj] 2019

çkQslj Hkw"k.k iVo/kZu
v/;{k dsa;j vf/kdkj çkIr lfefr ,oa mik/;{k
fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx

'kf{kd vkj 'kk/k vkpkj uhfr lg&l?k ;thlh&d;j

míf’kdk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का 'गुणवत्ता अधिदेश' संकाय सदस्यों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध और नए ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देने के महत्व पर बल देता है। इस उद्देश्य के लिए, मानक और अपहरक/संदिग्ध/भ्रामक पत्रिकाओं के बीच अंतर करने का प्रयास और यह सुनिश्चित करना कि भारतीय शैक्षिक कार्य केवल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकार्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हों, यूजीसी ने 14 जनवरी, 2019 की अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण विषयों पर गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की सतत निगरानी और पहचान करने के लिए एक घोषणा की है जिसके अनुसार यूजीसी ने शैक्षिक और शोध आचारनीति सह.संघ (केयर) की स्थापना की है। केयर का मुख्य कार्य भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध की गुणवत्ता में सुधार करना और शैक्षिक एवं शोध अखंडता के साथ–साथ प्रकाशन आचारनीति को बढ़ावा देना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मानना है और परामर्श देता है कि सभी संकाय सदस्यों और शोध विद्वानों को शोध कार्य प्रकाशित कराने के लिए पत्रिकाओं का चयन करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिस पत्रिका का चयन करते हैं। वह विश्व स्तर पर स्वीकृत मानक नीतियों का पालन करती है जैसा कि प्रकाशन आचारनीति समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्हें अपहरक/संदिग्ध पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित कराने से बचना चाहिए और उनके साथ किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं होना चाहिए। संदिग्ध/अपहरक/भ्रामक पत्रिकाओं और सम्मेलनों में प्रकाशनों या प्रस्तुतियों को किसी भी शैक्षिक लाभ के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

{k=

शोध प्रकाशनों की विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की शैक्षिक छवि का प्रतिनिधित्व नहीं करती अपितु संस्था और राष्ट्र की शैक्षिक छवि का भी प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों की संख्या, विश्व स्तर पर स्वीकार किए गए संकेतकों में से एक है जो संस्थागत रैंकिंग, संकाय सदस्यों की नियुक्तियों और पदोन्नति और शोध डिग्री प्रदान करने सहित विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों के लिए माने जाते है। संदिग्ध/उप–मानक पत्रिकाओं में प्रकाशन प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे दीर्घकालिक शैक्षिक क्षति होती है और छवि धुंधली हो जाती है। अपहरक/संदिग्ध/उप–मानक पत्रिकाओं की समस्या पूरी दुनिया में गंभीर चिंता का कारण बन गई है। निम्न गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का प्रतिशत भारत में बहुत अधिक बताया गया है। जिससे इसकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति को सुधारने के लिएए यूजीसी–केयर ने 'गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की यूजीसी–केयर संदर्भ सूची' तैयार करने की जिम्मेदारी ली है। (आगे से इसका उल्लेख 'यूजीसी–केयर सूची' के रूप में किया जाएगा)।

स्कोपस (स्रोत सूची) अथवा वेब ऑफ साइंस (आर्ट्स एंड ह्यूमेनिटीज साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्स्पेंडेड सोर्स पब्लिकेशन, साइंस साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन) में सूचीबद्ध सभी विषयों की शोध पत्रिकाओं को वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है और इन्हें सभी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मानी जाती है। अतः सभी शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए यूजीसी–केयर सूची में स्कोपस औरध्या वेब ऑफ साइंस में सूचीबद्ध पत्रिकाओं को षामिल किया गया है।

इनके अतिरिक्त, भारतीय पत्रिकाओं की एक सूची, विशेष रूप से कला, मानविकी, भाषाओं, संस्कृति और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के विषयों में तैयार करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिएए यूजीसी–केयर ने यूजीसी–केयर सूची बनाने और उसके रखरखाव के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की स्थापना की है।

mís ;

- संकाय सदस्यों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देना और विश्वसनीय शोध का सृजन करना।
- शैक्षिक और शोध अखंडता के साथ–साथ प्रकाशन आचारनीति को बढ़ावा देना।
- प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों को बढ़ावा देना जो उच्च वैश्विक रैंक और शोध तथा शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने में सहायता करेंगे।
- अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं की पहचान के लिए एक दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली विकसित करना।
- संदिग्ध/उप–मानक पत्रिकाओं में प्रकाशनों को रोकना जो प्रतिकूल रूप से प्रकट करते हैं और शोध कार्य की छवि को धूमिल करते हैं और इस प्रकार दीर्घकालिक शैक्षिक क्षति होती है।
- विभिन्न शैक्षिक मूल्यांकन के लिए 'गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की केयर संदर्भ सूची' बनाना और रखरखाव करना।

d;j&vf/kdkj çkIr lfefr

अधिकार प्राप्त समिति में सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और ललित कला, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग में सांविधिक परिशदों/अकादमियों/सरकारी निकायों और भारतीय विश्वविद्यालय संघ (आगे से इसे यूजीसी–केयर सदस्यों के नाम से जाना जाएगा) और यूजीसी द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों (आगे से यूजीसी–केयर विश्वविद्यालयों के नाम से जाने जाएंगे) के प्रतिनिधि शामिल हैं। यूजीसी ने यूजीसी. केयर सूची को बनाने और रखरखाव करने के लिए सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे को पत्रिका विष्लेशण की जिम्मेदारी सौंपी है।

d;j lnL;

शैक्षिक और शोध आचारनीति सह–संघ (केयर) में सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और ललित कला, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग के सांविधिक परिशद/अकादमियां/सरकारी निकाय और भारतीय विश्वविद्यालय संघ शामिल हैं। 1 जनवरी, 2019 को केयर के सदस्य निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर)
2. भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर)
3. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर)
4. भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएएस)
5. केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल)
6. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)
7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए)
8. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
9. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जनकपुरी, नई दिल्ली
10. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
11. साहित्य अकादमी

12. ललित कला अकादमी
13. राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान परिषद (एनसीईआरटी)
14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)
15. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)
16. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
17. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
18. केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम)
19. राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी (एनएई)
20. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत (एनएएसआई)
21. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए)
22. भारतीय विज्ञान अकादमी यआईएएससीद्ध
23. राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (एनएएमएस)
24. भारतीय विश्वविद्यालय संगठन (एआईयू)
25. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
26. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
27. एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा
28. तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
29. सूचना पुस्तकालय नेट, गांधीनगर, गुजरात
30. सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे (यूजीसी प्रकोष्ठ)

;thlh&d;j fo’ofo|ky;

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र)
- एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा (पश्चिमी क्षेत्र)।
- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्षिणी क्षेत्र)
- तेजपुर विश्वविद्यालय, असम (पूर्वी क्षेत्र)

if=dk fo’y"k.k d fy, ;thlh çdk"B

यूजीसी ने यूजीसी–केयर अधिकार प्राप्त समिति (यूजीसी–केयर ईसी) के अंतर्गत यूजीसी–केयर सूची बनाने और रखरखाव करने के लिए सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स (सीपीईद्ध) सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) के अंतर्गत एसपीपीयूए पुणे (यूजीसीए प्रकोष्ठ एसपीपीयू) में 'पत्रिका विश्लेषण प्रकोष्ठ' की स्थापना की है।

lpuk iLrdky; uV dæ

सूचना पुस्तकालय नेट केंद्र गांधीनगर एक सहायक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

;thlh&d;j lph

यूजीसी–केयर परिषद सदस्यों और यूजीसी–केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत पत्रिकाओं का विश्लेषण यूजीसी–केयर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पत्रिका विश्लेषण के प्रोटोकॉल के अनुसार एसपीपीयू में यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा। यूजीसी–केयर सूची में चार समूह शामिल होंगे।

lewg d% स्कोपस (स्रोत सूची) या वेब ऑफ साइंस (आर्ट्स एंड ह्यूमेनिटीज साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशनए साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्स्पेंडेड सोर्स पब्लिकेशन, साइंस साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन) में सूचीबद्ध सभी विषयों की शोध पत्रिकाएं। यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा इन पत्रिकाओं का कोई और विश्लेषण नहीं किया जाएगा और ऐसी सभी पत्रिकाओं को यूजीसी–केयर सूची में शामिल किया जाएगा।

lewg [k% पिछली 'यूजीसी–अनुमोदित सूची' की पत्रिकाएं जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त (Qualified) हैं।

lewg x% यूजीसी–केयर परिषद के सदस्यों द्वारा संस्तुत सभी विषयों की पत्रिकाएंए जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त हैं।

xzqi ?k% यूजीसी–केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत सभी विषयों और भाषाओं की पत्रिकाएंए जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त हैं।

dksj çkVksdky ¼Hkkx&I½

if=dk dk 'kh"kd@dks dk p;u vkSj tkWpu dh fØ;k

यूजीसी–केयर परिषद सदस्यों और यूजीसी–केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक शीर्षक का विश्लेषण यूजीसी–केयर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पत्रिका विश्लेषण के प्रोटोकॉल के अनुसार एसपीपीयू में यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।

नए शीर्षकों के विश्लेषण के लिए एक कठोर पद्धति का उपयोग किया जाएगा। इसमें तीन भाग होते हैं:

- यूजीसी–केयर प्रोटोकॉल भाग i: मूलभूत जानकारी
- यूजीसी–केयर प्रोटोकॉल भाग ii: प्राथमिक मानदंड
- यूजीसी–केयर प्रोटोकॉल भाग iii: माध्यमिक मानदंड

विश्लेषण प्रोटोकॉल का भाग I विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/व्यक्तियों विशेष अथवा प्रकाशकों से पत्रिका के बारे में मूलभूत जानकारी (नीचे दी गई) प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है:

1. पत्रिका का शीर्षक
2. पत्रिका का सामान्य विषय एवं फोकस विषय
3. प्रकाशक का नाम
4. उद्गम देश और पंजीकृत पता
5. पत्रिका की भाषा/भाषाएं
6. प्रकाशन की आवृत्ति
7. संपादकीय कार्यालय का पता, फोनए ई–मेल और वेबसाइट
8. वर्तमान स्थिति (अंतिम प्रकाशन की स्थिति) यप्रिंट/ऑनलाइन/दोनों)
9. आईएसएसएन/ईआईएसएसएन
10. अन्य पंजीकरण/सदस्यता जैसे आर.एन.आई./सीओपीई/यूजीसी–केयर

प्रोटोकॉल के भाग II और III का उपयोग आंतरिक विश्लेषण और आकलन के प्रयोजन के लिए किया जाना है, जिसमें 10 के पैमाने पर क्रमिक एल्गोरिथम निकाल देने की प्रक्रिया और महत्व–आधारित मैट्रिक्स का उपयोग करके उचित परिश्रम, सत्यापन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल हैं।

प्रोटोकॉल के भाग II और III के अनुसार किसी भी पत्रिका की गुणवत्ता का वस्तुपरक आकलन इसके इतिहास, स्थिरता, सहकर्मी मान्यता, बाजार की प्रतिष्ठा, संपादकों की शैक्षिक साख, सहकर्मी की समीक्षा प्रक्रियाए सूचीकरण, उद्धरणों, प्रभार/शुल्क और संबंधित वित्तीय मामलों, इत्यादि से संबंधित जानकारी के सत्यापन पर आधारित है।

प्रोटोकॉल के भाग II और III के अनुसार किसी भी पत्रिका की गुणवत्ता का वस्तुपरक आकलन उसके इतिहास, स्थिरता, सहकर्मी मान्यता बाजार की प्रतिष्ठा, संपादकों की शैक्षिक साख, सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया, अनुक्रमण, उद्धरण, प्रभार/शुल्क और संबंधित वित्तीय मामले इत्यादि के बारे में जानकारी के सत्यापन पर आधारित है। प्रोटोकॉल के भाग II और भाग III के अनुसार पत्रिका विश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र (वेबसाइट, फ्लायर्स, विज्ञापन, पुस्तकालयों में पत्रिका की हार्ड कॉपी आदि) से सीधे प्राप्त की जाएगी। झूठे/भ्रामक/गलत/अपर्याप्त जानकारी या निराधार दावे पाए जाने पर पत्रिका को किसी भी स्तर पर अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है।

/;ku nsa

- प्रोटोकॉल के भाग II और III का उपयोग केवल यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा पत्रिका विश्लेषण के लिए आंतरिक विश्लेषण और आकलन के लिए किया जाना है।
- यूजीसी–केयर सूची गतिशील है। यदि कोई अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रिका लुप्त हैए तो उसे निर्धारित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करके प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि सूची में कहीं भी किसी अनुपयुक्त पत्रिका को पाया जाता हैए तो कृपया इसकी रिपोर्ट फीडबैक विकल्प के माध्यम से की जाए।

;wthlh&ds;j lwph dk v|ru djuk

यूजीसी–केयर सूची गतिशील है। इसे हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली दिनांक (अथवा अगले कार्य दिवस को यदि इन तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश है। को त्रैमासिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।

;wthlh&ds;j lwph lewg d

स्कोपस (स्रोत सूची) अथवा वेब ऑफ साइंस (आर्ट्स एंड ह्यूमेनिटीज साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्स्पेंडेड सोर्स पब्लिकेशन, साइंस साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन) में सूचीबद्ध सभी विषयों की शोध पत्रिकाएं। यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा इन पत्रिकाओं का कोई और विश्लेषण नहीं किया जाएगा और ऐसी सभी पत्रिकाओं को यूजीसी–केयर सूची में शामिल किया जाएगा।

ये पत्रिकाएं समूह क के रूप में यूजीसी–केयर सूची का हिस्सा हैं और निम्नलिखित लिंक के माध्यम से सर्च किया जा सकता है।

वेब ऑफ साइंस

1. आर्ट्स एंड ह्यूमेनिटीज साइटेशन इंडेक्स
2. साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्स्पेंडेड
3. साइंस साइटेशन इंडेक्स

स्कोपस

1. स्कोपस स्रोत सूची

/;ku nsa

कई पत्रिकाएं वेब ऑफ साइंस और स्कोपस डेटाबेस में आम हैंए इसलिए इनकी कुल संख्या शीर्षकों की वास्तविक संख्या को नहीं दर्शाती है।

वेब ऑफ साइंस और स्कोपस डेटाबेस में सूचीबद्ध पत्रिकाएं स्वचालित रूप से यूजीसी–सीएआरटी सूची के ग्रुप क का हिस्सा बन जाती हैं। दोनों डेटाबेस नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं। जिन पत्रिकाओं को इन डेटाबेस में बंदध् निष्क्रिय किया गया हैए वे निश्चित रूप से यूजीसी–केयर सूची के ग्रुप ए में स्थान नहीं पा सकेंगी।

वेब ऑफ साइंस में सूचीबद्ध भारतीय पत्रिकाएं

स्कोपस में सूचीबद्ध भारतीय पत्रिकाएं

;thlh&d;j lph leg [k विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त मौजूदा यूजीसी–अनुमोदित सूची की पत्रिकाएँ।
;thlh&d;j lph leg x यूजीसी–केयर परिषद के सदस्यों द्वारा संस्तुत सभी विषयों की पत्रिकाएं, जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त है
;thlh&d;j lph leg ?k यूजीसी–केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत सभी विषयों और भाषाओं की पत्रिकाएं जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त हैं।
;thlh&d;j lph leg [k, x ,oa ?k सर्च

ubl if=dk 'kh"kd@dksa dk çLrqr djus dh çfØ;k

fo'ofo|ky; vkSj egkfo|ky;

केवल विश्वविद्यालयों के शिक्षण संकाय निर्धारित प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात पत्रिकाओं की संस्तुति कर सकते हैं। पत्रिका शीर्षक/कों की संस्तुति विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से निम्नानुसार की जाएंगीः

- विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ संबंधित क्षेत्र यूजीसी–केयर विश्वविद्यालय को पत्रिका के शीर्षक/कों की संस्तुति कर सकते हैं।
- संबद्ध महाविद्यालयः महाविद्यालय आईक्यूएसी प्रकोष्ठ पत्रिका के शीर्षक/कों की संस्तुति कर सकते हैं, अगर उन्हें मूल विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ के लिए उपयुक्त पाया गया है। मूल विश्वविद्यालय का आईक्यूएसी प्रकोष्ठ संस्तुत पत्रिका शीर्षक को अग्रेशित कर सकता है, यदि संबन्धित क्षेत्रीय यूजीसी–केयर विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त पाया जाता है।

O;fä fo'ks"k

कोई भी व्यक्ति विशेष निकटतम महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ के माध्यम से केवल शिक्षण संकाय की संस्तुति के साथ निर्धारित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करके यूजीसी–केयर विश्वविद्यालय को पत्रिका शीर्षक/कों की संस्तुति कर सकता है।

çdk'kd

प्रकाषक सम्बद्ध महाविद्यालय के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ अथवा विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ के माध्यम से शिक्षण संकाय की संस्तुति के साथ निर्धारित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करके पत्रिका शीर्षक/कों की संस्तुति कर सकते हैं।

;thlh&d;j fo'ofo|ky;

प्रत्येक यूजीसी–केयर विश्वविद्यालय को अपने संबंधित क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/व्यक्तियों विशेष/प्रकाशकों से प्राप्त पत्रिका के शीर्षक/कों जोड़ने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

- यूजीसी केयर प्रोटोकॉल भाग II के अनुसार पत्रिका का मूल्यांकन करेंः प्राथमिक मानदंड।
- यदि उपयुक्त पाया जाए तो हो तो केयर पोर्टल के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें।

;wthlh&d;j ifj"kn d lnL;

प्रत्येक यूजीसी–केयर परिषद के सदस्य को पत्रिका के शीर्षक/कों को जोड़ने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

- यूजीसी–केयर परिषद के सदस्य को पत्रिका के शीर्षक/कों की शैक्षिक गुणवत्ता को विधिमान्य बनाना चाहिए और संस्तुति के कारणों को अवश्य बताना चाहिए।
- उपयुक्त पाए जाने परए सदस्य यूजीसी–पोर्टल पर पत्रिका के शीर्षक/कों के बारे में मूलभूत जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

/;ku n%

- नई पत्रिकाओं को शामिल करने हेतु मात्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने से यूजीसी–केयर सूची में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यूजीसी–केयर सूची में पत्रिकाओं का समावेश पूर्णतया इसमें उल्लिखित मानदंड के आधार पर होगा।
- पत्रिकाओं के समावेश या निकालने के बारे में अंतिम निर्णय केवल यूजीसी–केयर अधिकार प्राप्त समिति को होगा।
- यूजीसी–केयर सूची गतिशील है। इसे हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली दिनांक (अथवा अगले कार्यदिवस पर यदि इन तिथियों को सार्वजनिक अवकाश हो) को त्रैमासिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।
- यदि कोई अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रिका लुप्त है, तो इसे निर्धारित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करके प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि किसी अनुपयुक्त पत्रिका को सूची में कहीं भी पाया जाता हैए तो कृपया इसकी रिपोर्ट फीडबैक विकल्प के माध्यम से की जाए।

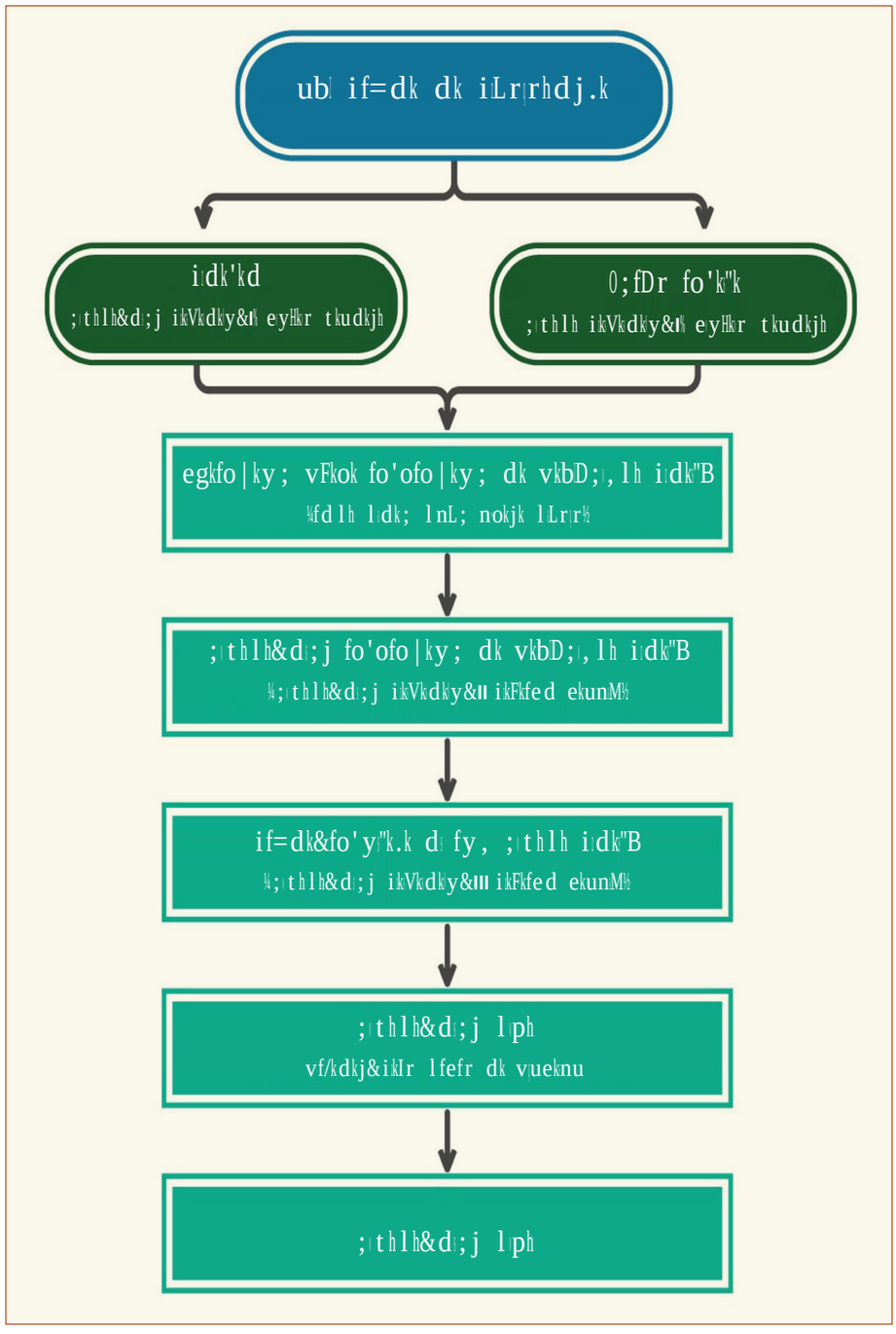

vDlj iNs tkus okys ç'u

if=dkvksa dh ^;wthlh&dsvj lwph* D;k gS

यूजीसी–केयर सूची गुणवत्ता पत्रिकाओं की एक यूजीसी–केयर संदर्भ सूची है जिसमें निम्नलिखित चार समूह शामिल हैं:

- lewg d% स्कोपस (स्रोत सूची) या वेब ऑफ साइंस (आर्ट्स एंड ह्यूमेनिटीज साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्स्पेंडेड सोर्स पब्लिकेशन, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स सोर्स पब्लिकेशन) में सूची बद्ध सभी विषयों की शोध पत्रिकाएं। *ध्यान दें: यूजीसी–केयर सूची सर्च पेज पर समूह क के अंतर्गत इन पत्रिकाओं के लिए पृथक लिंक प्रदान किए गए हैं।*
- समूह ख: पिछली 'यूजीसी–अनुमोदित सूची' की पत्रिकाएं जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त (Qualified) हैं।

- leg x: यूजीसी–केयर परिषद के सदस्यों द्वारा संस्तुत सभी विषयों की पत्रिकाएं, जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त हैं।
- x|i ?k% यूजीसी–केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत सभी विषयों और भाषाओं की पत्रिकाएंए जो विश्लेषण प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त हैं।

vigjd@lfnX/k@lnagkLin if=dk,¡ vFkok çdk'kd D;k gSA

"अपहरक पत्रिका" या 'अपहरक प्रकाशक' शब्दावली ऐसी सत्ता हैं जो छात्रवृत्ति के व्यय से स्व–हित को प्राथमिकता देते हैं और झूठी या भ्रामक जानकारीए सर्वोत्तम संपादकीय/प्रकाशन प्रथाओं से विचलन, पारदर्षिता की कमी और/अथवा आक्रामक और अविवेकपूर्ण प्रार्थना प्रथाओं द्वारा चिन्हित किया जाता है।

;wthlh&d¢;j lwph fdruh ckj v|ru dh tkrh gSA

यूजीसी–केयर सूची को हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली दिनांक (अथवा अगले कार्य–दिवस पर यदि इन तिथियों को सार्वजनिक अवकाश हो) को त्रैमासिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

;wthlh&d¢;j lwph dgk¡ fey ldrh gSA

यूजीसी–केयर सूची वेबसाइट https://ugccare.unipune.ac.in पर उपलब्ध है

;wthlh&d¢;j lwph esa 'kkfey djus d¢ fy, d©u if=dkvksa dh laLrqfr dj ldrk gS%

कोई भी व्यक्ति यूजीसी–केयर सूची में पत्रिका/पत्रिकाओंए चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी, को शामिल करने की संस्तुति कर सकता हैए इसके लिए https://ugccare.unipune.ac.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

çdk'kd ;wthlh&d¢;j lwph esa viuh if=dk@if=dk,a d¨ls tkM+ ldrs gS%

प्रकाशक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के साथ शिक्षण संकाय की संस्तुति सहित निर्धारित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करके किसी भी संबद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ के माध्यम से पत्रिका शीर्षक/शीर्षकों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

;wthlh }kjk igys ls "if=dkvksa dh Loh—r lwph" dh fLFkfr D;k gSA

"पत्रिकाओं की यूजीसी–स्वीकृत सूची" (समूह ख) का मूल्यांकन "पत्रिका विश्लेषण की यूजीसी प्रकोष्ठ" द्वारा किया गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार, विश्लेषण के पश्चात उपयुक्त पत्रिकाओं को यूआरजीसी–केयर सूची में शामिल किया जाता हैं। सूची में शामिल नहीं की गई पत्रिकाओं के पुनर्मूल्यांकन परस्वतः विचार नहीं किया जाएगा। उन्हें यूजीसी–केयर वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करके शामिल होने के लिए भेजा जाना है।

;wthlh&d¢;j lwph ls igys çdkf'kr 'kk/k dk x tkrk dh fLFkfr D;k gS%

कृपया यूजीसी–केयर वेबसाइट पर उपलब्ध यूजीसी की दिनांक 14 जून, 2019 की सार्वजनिक अधिसूचना (पाइंट 2 और 3) देखें।

egkfo|ky;ksa@fo'ofo|ky;ksa }kjk laLrqr dh if=dk,a ;wthlh&d¢;j lwph esa 'kkfey D;ksa ugha dh xbZ gSA

शामिल न किए जाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

1. पत्रिका/पत्रिकाएं विशेष विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी केंद्र के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई हों।
2. पत्रिका/पत्रिकाएं अर्हक प्रोटोकॉल को पूरा नहीं कर सकी हों।

;wthlh&d¢;j lwph esa la'kks/ku dSls fd, tk ldrs gS%

यूजीसी–केयर सूची में पत्रिका सूचना के बारे में किसी भी प्रकार के सुधारों/विसंगतियों का सम्प्रेषण यूजीसी–केयर वेबसाइट पर उपलब्ध फीडबैक विकल्प के माध्यम से किया जा सकता है।

;wthlh&d¢;j lwph esa fdlh if=dk ds ckjs esa f'kdk;r@f'kdk;rsa dSls ntZ djsaA

यूजीसी–केयर सूची गतिशील है। यूजीसी–केयर सूची में पत्रिका की प्रविष्टियों के बारे में शिकायतें यूजीसी–केयर

वेबसाइट पर उपलब्ध फीडबैक विकल्प के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। पत्रिकाओं के प्रस्तुतीकरण फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगाए अगर यह फीडबैक विकल्प के माध्यम से नहीं आता है।

fd lh fo’k"k fo"k; {k= e if=dk@if=dk, d l [kkt A

यूजीसी–केयर सूची पर एक विषय सर्च का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। यूजीसी–केयर पत्रिकाओं की सूची को ऑल साइंस जर्नल क्लासिफिकेशन (एएसजेसी) कोड के अनुसार वर्गीकृत किया गया हैए जिनको स्कोपस (Elsevier Science) द्वारा बनाया जाता है और रखरखाव किया जाता है।

D;k fofHkUu MVkc l e lphc) if=dk, ;thlh&d;j lph dk fgLlk gA

केवल वेब ऑफ साइंस और/अथवा स्कोपस डेटाबेस में सूचीबद्ध पत्रिकाएं यूजीसी–केयर सूची (समूह क) का हिस्सा होंगी। कोई अन्य डेटाबेस यूजीसी–केयर द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

;thlh&d;j oc lkbV ij oc v,Q lkbl ;k Ldki l MVkc l e lphc) if=dkvk dh fLFkfr D;k gA

वेब ऑफ साइंस या स्कोपस डेटाबेस में सूचीबद्ध कोई भी पत्रिका यूजीसी–केयर सूची (समूह क) का हिस्सा होगी। यूजीसी–केयर सूची में ऐसी पत्रिकाओं को पुनः शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

;thlh&d;j oc lkbV ij oc v,Q lkbl vkj@vFkok Ldki l MVkc l e lphc) if=dkvk dh [kkt d l djA

कोई भी व्यक्ति वेब ऑफ साइंस या स्कोपस डेटाबेस में सूचीबद्ध पत्रिकाओं को सीधे ही यूजीसी–केयर वेबसाइट पर सर्च नहीं कर सकता है। लेकिन यूजीसी–केयर सूची के समूह क के अंतर्गत इन डेटाबेस के लिए पृथक लिंक प्रदान किए गए हैं।

D;k oc v,Q lkbl d bejftx lkl t lkbV’ku bMD l ¼b,lhvkb½ e 'kkfey if=dkvk dk ;thlh&d;j lph e 'kkfey fd;k x;k gA

ईएससीआई में शामिल पत्रिकाएं यूजीसी–केयर सूची का हिस्सा नहीं है। जैसे ही इन पत्रिकाओं को वेब ऑफ सा. इंस सोर्स पब्लिकेशंस (आर्ट्स एंड ह्यूमेनिटीज साइटेशन इंडेक्स (एएचसीआई), साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्स्पेंडेड (एससीआईई), साइंस साइटेशन इंडेक्सय एसएससीआई) में शामिल किया जाता है, तो वे स्वतः ही समूह क के अंतर्गत यूजीसी–केयर सूची का हिस्सा हो जाती हैं।

vLoh—r if=dk@if=dkvk dh iu% leh{kk dju dh çfØ;k D;k g\

अस्वीकृत पत्रिका/पत्रिकाओं को केवल एक वर्ष के पश्चात पुनः समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए निर्धारित प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। इन पत्रिका/पत्रिकाओं पर तभी पुनर्विचार किया जाएगा जब वे विश्लेषण प्रोटोकॉल के उपयुक्त हों।

fo’k"k ;thlh&d;j fo’ofo|ky; }kjk 'kkfey fd, x, jkT; dku l gA

निम्नलिखित तालिका के अनुसार चार यूजीसी–केयर विश्वविद्यालय और उनके संबंधित राज्य हैं

{k=	irk
पूर्वी क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल
पश्चिम क्षेत्र	छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
दक्षिण क्षेत्र	अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना
उत्तर क्षेत्र	चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

lkoZtfud lwpuk

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

मि.सं. 1–1/2018 (जर्नल–केयर) जनवरी 14, 2019

lkoZtfud lwpuk

d;j% x.koÙkki.k if=dkvk dh lnHk lph

यह सार्वजनिक सूचना 28 नवंबरए 2018 को जारी सार्वजनिक सूचना के क्रम में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 14 नवंबर, 2018 को आयोजित अपनी 536 वीं बैठक में 'गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की संदर्भ सूची' (अब से केयर सूची के नाम से जाना जाएगा) को तैयार करने और इसके रखरखाव हेतु शैक्षिक और शोध आचारनीति के लिए सह–संघ की स्थापना की है। केयर सदस्यों में सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला एवं ललित कला, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग के सांविधिक परिषद/अकादमियां/सरकारी निकाय और भारतीय विश्वविद्यालय संघ शामिल हैं। केयर सदस्यों की सूची संलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।

if=dk fo'y"k.k d fy, ;thlh çdk"B

सावित्री बाई फूले विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) को पत्रिका विश्लेषण की जिम्मेवारी सौंपी गई है और यूजीसी ने एसपीपीयू, पुणे में "पत्रिका विश्लेषण के लिए प्रकोष्ठ" की स्थापना की है। सूचना पुस्तकालय नेट केंद्र सहायक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्तए नई पत्रिकाओं के प्रस्तुतीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, यूजीसी ने चार विश्वविद्यालयों को केयर विश्वविद्यालयों के रूप में चिन्हित किया है:

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (उत्तरी क्षेत्र)
- महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा, (पश्चिमी क्षेत्र)
- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्षिणी क्षेत्र)
- तेजपुर विश्वविद्यालय, असम (पूर्वी क्षेत्र)

एसपीपीयू में यूजीसी प्रकोष्ठ, केयर की अधिकार प्राप्त समिति (केयर ईसी) के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा। केयर की अधिकार प्राप्त समिति का गठन संलग्नक 2 के रूप में उपलब्ध है।

if=dk fo'y"k.k çkVkd,y

एसपीपीयू, पुणे में यूजीसी प्रकोष्ठ, यूजीसी वेबसाइट पर सूचीबद्ध मौजूदा पत्रिकाओं के साथ–साथ केयर की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रोटोकॉल के अनुसार नई पत्रिकाओं के सभी प्रस्ताव का विश्लेषण करेगा। पत्रिका विश्लेषण के प्रोटोकॉल में तीन खंड हैं:

- मूलभूत जानकारी (भाग I)
- प्राथमिक मानदंड (भाग II)
- माध्यमिक मानदंड (भाग III)

भाग–I प्रोटोकॉल विवरण किसी प्रकाशक (संलग्नक 3) से पत्रिका के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए है। प्रोटोकॉल के भाग II और III का उपयोग आंतरिक विश्लेषण और आकलन के प्रयोजन के लिए किया जाना है। जिसमें 10 के पैमाने पर क्रमिक एल्गोरिथम निकाल देने की प्रक्रिया (Sequential algorithmic elimination process) और महत्व–आधारित मैट्रिक्स (weightage-based metrics) का उपयोग करके उचित परिश्रम, सत्यापन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल हैं। प्रोटोकॉल के भाग II और III के अनुसार किसी भी पत्रिका की गुणवत्ता का वस्तुपरक आकलन इसके इतिहास, स्थिरता, सहकर्मी मान्यता, बाजार की प्रतिष्ठा, संपादकों की शैक्षिक साख, सहकर्मी की समीक्षा प्रक्रिया, सूचीकरण, उद्धरणों, प्रभार/शुल्क और संबंधित वित्तीय मामलों, इत्यादि से संबंधित जानकारी के सत्यापन पर आधारित है।

प्रोटोकॉल के भाग II और III के अनुसार किसी भी पत्रिका की गुणवत्ता का वस्तुपरक आकलन उसके इतिहास, स्थिरता, सहकर्मी मान्यता बाजार की प्रतिष्ठा, संपादकों की शैक्षिक साख, सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया, अनुक्रमण, उद्धरण, प्रभार/शुल्क और संबंधित वित्तीय मामले इत्यादि के बारे में जानकारी के सत्यापन पर आधारित है। प्रोटोकॉल के भाग II और भाग III के अनुसार पत्रिका विश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र (वेबसाइट, फ्लायर्स, विज्ञापन, पुस्तकालयों में पत्रिका की हार्ड कॉपी आदि) से सीधे प्राप्त की जाएगी। झूठे/भ्रामक/गलत/अपर्याप्त जानकारी या निराधार दावे पाए जाने पर पत्रिका को किसी भी स्तर पर अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है।

ubl if=dkvk dk tkMu dh çfØ;k

नई पत्रिकाओं को केयर सूची में केवल निम्नलिखित तरीके से जोड़ा जा सकता है।

1. संबन्धित विषयों में सांविधिक परिषदों/सरकारी निकायों (अब से केयर सदस्यों के नाम से जाना जाएगा) द्वारा संस्तुत सामाजिक विज्ञान, मानविक, भाषाएं, कला, भारतीय ज्ञान प्रणाली की पत्रिकाएं।
2. यूजीसी द्वारा चिन्हित क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों (अब से केयर सदस्यों के नाम से जाना जाएगा) द्वारा प्रस्तुत की गई नई पत्रिकाओं को शामिल करने के प्रस्ताव।

केयर सदस्यों को मूलभूत जानकारी प्रदान करनी चाहिए और प्रोटोकॉल के भाग I के अनुसार केयर पोर्टल पर संस्तुत की जाने वाली पत्रिकाओं को प्रस्तुत करना चाहिए। केयर विश्वविद्यालयों को प्रोटोकॉल के भाग I और II के अनुसार केयर पोर्टल पर नई पत्रिकाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए।

केयर सूची में शामिल करने के विचार के लिए नई पत्रिकाओं के प्रस्तुतीकरण के प्रस्ताव केवल पुणे में स्थापित किए जाने वाले यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा केयर पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। पत्रिका प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए केवल केयर सदस्यों और केयर विश्वविद्यालयों द्वारा ही केयर पोर्टल तक पहुँच स्थापित की जा सकती है। यूजीसी कार्यालय अथवा एसपीपीयू में यूजीसी प्रकोष्ठ किसी भी अन्य तरीके से नई पत्रिकाओं के प्रस्तुतीकरण के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

जो प्रकाशक अपनी पत्रिकाओं को केयर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैंए उन्हें केयर विश्वविद्यालयों से संपर्क करना होगा। केयर विश्वविद्यालय प्रकाशकों से प्रस्ताव करने के लिए एक नोडल व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। ऐसे नोडल व्यक्तियों का संपर्क विवरण केयर पोर्टल पर उपलब्ध होगा। प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया से संबन्धित आवश्यक विवरण केयर पोर्टल पर उपलब्ध होगा। आषा है कि यह केयर पोर्टल 21 जनवरी, 2019 से कार्य करना आरंभ कर देगा।

d;j lph

केयर सदस्यों और केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत पत्रिकाओं का विश्लेषण प्रोटोकॉल के भाग I, II और III के अनुसार यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा। केयर–सूची में चार समूह होंगेः

- leg d% स्कोपस और/अथवा वेब ऑफ साइंस (डब्ल्यूओएस) में सूचीबद्ध विज्ञान, इंजीनियरिंगए प्रोद्यौगिकी, कृषि और जैव चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत विषयों में शोध पत्रिकाएं। यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा इस समूह में पत्रिकाओं का विश्लेषण नहीं किया जाएगा।
- leg [k% मौजूदा सूची से प्रोटोकॉल के अनुसार विश्लेषण के पश्चात उपयुक्त (Qualified) पत्रिकाएँ।
- leg x% केयर सदस्यों द्वारा संस्तुत सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषाओं और भारतीय ज्ञान प्रणालियों की पत्रिकाएं, जो प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त हैं।
- xi ?k% केयर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत नई पत्रिकाएं, जो प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त हैं।

प्रोटोकॉल के अनुसार 10 में से 6 अंक पाने वाली पत्रिकाएं केयर सूची में शामिल करने के उपयुक्त होंगी। 4.5 के बीच अंक प्राप्त करने वाली पत्रिकाओं को 'आने वाली सूची' के रूप में तीन वर्षों के लिए निगरानी के अंतर्गत रखा जाएगा, जिन्हें बाद में 'केयर सूची' में शामिल किया जाएगा जब भी वे प्रोटिकोल के अनुसार उपयुक्त (Qualified) पाई जाती हैं।

केयर सूची के प्रथम संस्कारण के 31 मार्च, 2019 से पहले प्रकाशित होने की आशा है, जो पत्रिकाओं की मौजूदा यूजीसी–अनुमोदित सूची का स्थान लेंगी। केयर सूची गतिशील होगी जहां पत्रिकाओं का परिवर्धन/विलोपन सतत आधार पर होगा। केयर पोर्टल में केयर सूची में पत्रिकाओं की प्रविष्टि के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने का प्रावधान होगा। केयर सूची में पत्रिकाओं को शामिल करने अथवा हटाने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केयर–अधिकार प्राप्त समिति में निहित होगा, जिसे अंतिम माना जाएगा।

l|yXud&1

d|;j lnL;

शैक्षिक और शोध आचारनीति के सह–संघ में सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और ललित कला, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग में सांविधिक परिषद/अकादमी/सरकारी निकाय और भारतीय विश्वविद्यालय संघ शामिल हैं। 01 जनवरी, 2019 को केयर के सदस्य।'

1. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर)
2. भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर)
3. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर)
4. भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएएस)
5. केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल)
6. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)
7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए)
8. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
9. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जनकपुरी, नई दिल्ली
10. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
11. साहित्य अकादमी
12. ललित कला अकादमी
13. राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान परिषद (एनसीईआरटी)
14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)
15. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)
16. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
17. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
18. केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम)
19. राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी (एनएई)
20. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत (एनएएसआई)
21. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए)
22. भारतीय विज्ञान अकादमी (आईएएससी)
23. राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (एनएएमएस)
24. भारतीय विश्वविद्यालय संगठन (एआईयू)
25. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
26. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
27. एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा
28. तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
29. इनफ्लिबनेट, गांधीनगर, गुजरात
30. सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे (यू.जी.सी प्रकोष्ठ)

*जब भी विशिष्ट विषयों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना आवयक हो तो नए सदस्यों को जोड़ा जा सकता है।

l;kstd] ;wthlh&d;j fo'ofo|ky;

1. प्रो. प्रमोद के. नायर, अंग्रेजी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय ए केंद्रीय विश्वविद्यालय डाकखाना प्रो.सी.आर. राव रोड, गाचीबोवली ए हैदराबाद–500046, तेलंगाना राज्य
2. प्रो. अपूर्वा एम. शाह, कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग, निदेशक, महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, प्रतापगंज ए वडोदरा ए गुजरात 39000
3. प्रो. अरुण सिद्धराम खरात, निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, जवाहरलाल नेहरू ए विश्वविद्यालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली 110067
4. प्रो. रमेश सी. डेकाए डीन. अकादमिक मामले, तेजपुर विश्वविद्यालय, नापाम ए सोनितपुर ए असम 784028

l;kstd] if=dk fo'y"k.k&;wthlh ly

डॉ. शुभदा नागरकर, (पत्रिका विश्लेषण–यूजीसी सेल) सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स, सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र।

lyXud&2

d;j vf/kdkj çkIr lfefr

1.	प्रो. भूषण पटवर्धन उपाध्यक्ष, वि.अ.आ.	अध्यक्ष
2.	प्रो. वी.एस.चौहान पूर्व सदस्य, वि.अ.आ.	सदस्य
3.	प्रो. जगदीश कुमार कुलपति, जेएनयू एवं आयोग सदस्य	सदस्य
4.	प्रो. उमा सी. वैद्य आयोग सदस्य	सदस्य
5.	प्रो. वी. के. मल्होत्रा सदस्य सचिव, आईसीसएसआर	सदस्य
6.	प्रो. अप्पा राव पोडिले कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय	सदस्य
7.	प्रो. एस. के. श्रीवास्तव कुलपति, एनईएचयू	सदस्य
8.	प्रो. परिमल एच व्यास कुलपति, एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा	सदस्य
9.	प्रो. वी. के. जैन कुलपति, तेजपुर विश्वविद्यालय	सदस्य
10.	प्रो. पुलोक मुखर्जी जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	सदस्य
11.	प्रो. श्रीधर गडरे महानुभवी प्रोफेसर	सदस्य
12.	प्रो. जे.पी.एसण् जूरेल निदेषक, सूचना पुस्तकालय नेट	सदस्य
13.	डॉ. शुभदा नागरकर एसपीपीयू ए पुणे में यूजीसी प्रकोष्ठ	सदस्य
14.	डॉ. अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, वि.अ.आण	समन्वयक

lyXud&3

d;j&vf/kdkj çkIr lfefr }kjk vuekfnr çkVkd,y ¼Hkkx 1½

d;j çkVkd,y Hkkx 1

eyHkwr tkudkjh

1. पत्रिका का शीर्षक
2. पत्रिका का सामान्य विषय एवं फोकस विषय
3. प्रकाशक का नाम
4. पत्रिका की भाषा/भाषाएं
5. उद्गम देश और पंजीकृत पता
6. प्रकाशन की आवृत्ति
7. संपादकीय कार्यालय का पता, फोन, ईमेल और वेबसाइट
8. वर्तमान स्थिति (अंतिम प्रकाशन की स्थिति) (प्रिंट/ऑनलाइन/दोनों)
9. आईएसएसएन/ईआईएसएसएन
10. अन्य पंजीकरण/सदस्यता जैसे आर.एन.आई./सीईओपीई/यूजीसी–केयर

प्रोटोकॉल का भाग II और III विश्लेषण और आकलन प्रयोजन के लिए हैए जिसका उपयोग यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा पत्रिका विश्लेषण के लिए किया जाता है।

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

मि.सं.1.1/2018 (जर्नल–केयर) 14 जून, 2019

'kf{kd v[kMrk ij lko'tfud lpuk

गुणवत्ता से समझौता किए गए प्रकाशन आचारनीति की बढ़ती घटनाएं और बिगड़ती शैक्षिक अखंडता ऐसी बढ़ती समस्या है जो शोध के सभी क्षेत्रों को दूर्षित कर रही है। यह देखा गया है कि प्रकाशन में अनैतिकध् भ्रामक व्यवहार के कारण विश्व भर में संदिग्ध/अपहरक पत्रिकाओं में वृद्धि हो रही है। यह बताया गया है कि भारत में अपहरक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का प्रतिशत बहुत अधिक है। अनैतिक व्यवहार के कारण 'भुगतान करो और सार रहित कृति को प्रकाशित कराओश् की संस्कृति को तत्काल विफल करने की आवश्यकता है।

विश्व की भलाई के लिए सामाजिक–आर्थिक लाभार्थ सत्य की खोज एवं ज्ञान के सृजन में योगदान हेतु शोध एवं नवाचार में परिशुद्ध सावधानीपूर्ण एवं तर्कसंगत प्रयास किया जाना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि छात्र, संकाय, शोधकर्ता और कर्मचारियों के बीच शैक्षिक लेखन में साहित्यिक चोरी सहित शैक्षिक कदाचार की रोक. थाम सुनिश्चित की जाए। वैज्ञानिक शोध में शोध के जिम्मेदार आचरण और आचारनीति और शैक्षिक अखंडता को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय शैक्षिक समुदाय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे जिन पत्रिकाओं/सम्मेलनों का प्रकाशन के लिए चयन करते हैंए वे मानक आचारनीतियों का पालन करती हैं।

इस प्रयोजन के लिए, यूजीसी ने शैक्षिक और शोध आचारनीति के लिए सह–संघ (केयर) की स्थापना की है ताकि सम्पूर्ण विषयों की 'गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की यूजीसी–केयर संदर्भ सूची' की पहचान, सतत रूप से निगरानी और रखरखाव किया जा सके (अब से इसका उल्लेख 'यूजीसी–केयर सूची' के रूप में किया जाएगा। यूजीसी–केयर सूची उपयोगी संसाधनों जैसे प्रासंगिक प्रकाशन, दृष्य–श्रव्य सामग्री, वीडियो, वेबलिंक इत्यादि के साथ यूजीसी केयर वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूजीसी–केयर वेबसाइट एफएक्यूए फीडबैक और शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान करता है।

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम सेए भारतीय शैक्षिक समुदाय को सूचित किया जाता है किः

1. उन्हें अपहरक/संदिग्ध पत्रिकाओं में प्रकाशन अथवा अपहरक संदर्भों से बचना चाहिए। आगे यह भी परामर्श दिया जाता है कि उन्हें कपटपूर्ण/संदिग्ध/भ्रामकव्यवहार में लगी पत्रिकाओं/प्रकाषकों/सम्मेलनों से सम्बद्ध (संपादक/परामर्शदाता के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार से) नहीं होना चाहिए।

2. अपहरक/संदिग्ध पत्रिकाओं में प्रकाशन अथवा अपहरक/संदिग्ध सम्मेलनों में प्रस्तुतीकरण को चयन, पुष्टि, पदोन्नति, निष्पादन मूल्यांकन, छात्रवृत्ति अथवा शैक्षिक अथवा किसी भी रूप में शैक्षिक क्रेडिट प्रदान करने हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए। तत्काल प्रभाव से, केवल यूजीसी–केयर सूची में सूचीबद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध प्रकाशनों को सभी शैक्षिक प्रयोजनों हेतु उपयोग में लिया जाना चाहिए।

3. कुलपति, चयन समितियां, शोध पर्यवेक्षक/गाइड और शैक्षिक मूल्यांकन/आकलन में लगे ऐसे अन्य विशेषज्ञों को एतद द्वारा परामर्श दिया जाता है कि वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनके निर्णय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

मुख्यतः शोध कार्य की गुणवत्ता पर आधारित हों, न कि मात्र प्रकाशनों की संख्या पर।

4. गुणवत्ता से समझौता की गई शैक्षिक अखंडता को सभी स्तरों पर चुनौती दी जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए और मान्यता समाप्त की जानी चाहिए।

5. अधिक जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक अखंडता की अभिवृद्धि और साहित्यिक चोरी निवारण) विनियम, 2018 और यूजीसी–केयर वेबसाइट को देखें।

6. प्रकाशन आचारनीति समिति के दिशा–निर्देश (COPE): शोध आकलन पर सेन फ्रेंसिसको घोषणा (DORA): लीडेन घोषणा–पत्रः सभी यूरोपीय अकादमियों द्वारा शोध अखंडता के लिए यूरोपीय आचार संहिता 2017: वैज्ञानिक मूल्यः भारतीय विज्ञान अकादमी द्वारा आचारनीति दिशा–निर्देश एवं प्रक्रियाएं 2018। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और यूजीसी–केयर वेबसाइट के अन्य संसाधनों द्वारा भारत में शोध आउटपुट के प्रसार और मूल्यांकन पर नीति वक्तव्य 2018 का भी इस प्रयोजन के लिए उल्लेख किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

मि.सं.1-1/2018(जर्नल/केयर) **16 सितम्बर, 2019**

सार्वजनिक सूचना

भारतीय शैक्षिक प्रकाशन और हमारे शोध और ज्ञान प्रस्तुतीकरण की विश्वसनीयता के हितों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित बातों को दोहराता है:

(1) पुरानी 'यूजीसी अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची' को नई 'गुणवत्ता पत्रिकाओं की यूजीसी-केयर संदर्भ सूची'(यूजीसी-केयरसूची)से बदल दिया गया है और 14 जून, 2019से केवल यूजीसी-केयर सूची में अनुक्रमित पत्रिकाओं के शोध प्रकाशनों को किसी भी शैक्षिक उद्देश्य के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से (Prospectively) माना जाना चाहिए।

(2) कुलपतियों, चयन समितियों, स्क्रीनिंग समितियों, शोध पर्यवेक्षकों और शैक्षिक/निष्पादन मूल्यांकन एवं आकलन से सम्बद्ध सभी/किसी भी विशेषज्ञ(ज्ञों) को एतदद्वारा परामर्श दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि चयन, पदोन्नति, क्रेडिट-आवंटन, शोध डिग्री प्रदान करने इत्यादि के मामले में उनके निर्णय केवल अंकों अथवा सहकर्मी समीक्षा अथवा पत्रिकाओं की पुरानी यूजीसी अनुमोदित सूची,जो यूजीसी वेबसाइट पर संदर्भ के लिए उपलब्ध है,में मात्र उपस्थिति के बजाय अनिवार्य रूप से प्रकाशित कार्य की गुणवत्ता के आधार पर होने चाहिए।

(पी . के. ठाकुर)
सचिव (कार्यवाहक)

पिछला कवर

यूजीसी का चित्र' प्रो. हिम चटर्जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई पेंटिंग है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चित्र भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के शिक्षा दर्शन का प्रतिबिंब है। नारंगी रंग योजना ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। हंस ज्ञान के पंख फैलाती हुई देवी सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय चिन्ह– सिंह शीर्ष और धर्म चक्र आगे बढ़ने का प्रतीक है और बुद्धि, नीचे खुली पुस्तकों के साथ यूजीसी का प्रतीक है। उल्लू की दो आंखें नीचे देवी लक्ष्मी की प्रतीक हैं तो घड़ा अनुदान का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान चक्र–से सहस्रार चक्र– चेतना–दर्शन के ज्ञान और ऊर्जा को ऊपर उठाता है। पेंटिंग में बाएं मस्तिष्क के माध्यम से तार्किक और विश्लेषणात्मक विषयों की सारणी को दर्शाया गया है और दाएं मस्तिष्क के माध्यम से रचनात्मक और कलात्मक विषयों को दर्शाया गया है। अग्रभाग में 12 राशियों के प्रतीक 12 विभिन्न वर्णों, सोच और विचारों के प्रतीक हैं। प्रत्येक सिर अपनी दुनिया और आँखों में प्रश्न चिह्न के साथ शिक्षा और शोध में जांच और खोज के महत्व का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

University Grants Commission

quality higher education for all

www.ugc.ac.in

@ugc_india